न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामस्वरूप चौहान, आर.ए.एस.

अपील संख्याः 34/20 निर्णय दिनांकः– 16-12-2021
(जीसीएमएस संख्या 2020/00178)

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति रामगडिया निवासी करणपुर तहसील करणपुर जिला श्रीगंगानगर।

–अपीलांट

–बनाम–

1. भंवरदान पुत्र मुराददान जाति चारण निवासी सींथल तहसील बीकानेर जिला बीकानेर।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार पूगल।

–रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 19–03–1999
सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु.बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री हरीश चन्द्र व्यास, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री मिलापचन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ मु. बीकानेर के आदेश दिनांक 19–03–1999 जिसके द्वारा अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट नं. 1 को किया गया है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इ.गा.न.प.क्षेत्र मे राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि जैर अपील रकबा वाके चक 7 केएचएम तहसील पूगल सीमा क्षेत्र में स्थित मुरब्बा नम्बर 117/29 किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा रकबा विशेष आवंटन में अपीलांट के हक में दिनांक 21–03–1995 को कीमतन आवंटन किया गया। जिसकी प्रथम किश्त अपीलांट द्वारा 18040 रुपये राज्य सरकार के कोष में जमा करवा दी गई। अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना ही व बिना रिकार्ड का अवलोकन किये उक्त रकबा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पक्ष में विशेष आवंटन में दिनांक 19–03–1999 को कर दिया गया। जबकि उक्त दिनांक को वादग्रस्त भूमि अपीलांट को बतौर विशेष आवंटन आवंटित थी।

अदालत मातहत द्वारा वादग्रस्त भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट को किसी प्रकार का कोई नोटिस अथवा सूचना नहीं दी गई। इसलिए अपीलांट का आवंटन डबल आवंटन की श्रेणी में आता है। इस कारण अपीलांट को उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिला ना ही रिकार्ड में अंकन हो सका। इसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है जिसकी आय का एक मात्र स्त्रोत खेती ही है। अपीलांट आज भी भूमिहीन व्यक्ति है।

राज्य सरकार के भी ऐसे आदेश है कि ऐसे भूमिहीन व्यक्तियों को वरीयता देकर अन्यत्र भूमि दी जावे। चूंकि अपीलांट को आवंटित भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। इसलिए अपीलांट अन्य भूमि पाने का पात्र है। अदालत मातहत को अपीलांट के आवंटन को निरस्त करते हुए अन्य भूमि आवंटित की जानी चाहिए थी लेकिन अदालत मातहत द्वारा अपीलांट का आवंटन तो निरस्त किया न ही उसकी एवज में अन्यत्र भूमि के आदेश पारित नहीं किये है। जबकि अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर किया गया आदेश है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे व आवंटन अधिकारी को निर्देश प्रदान करावें कि अपीलांट को उसकी पात्रता अनुसार सही किस्म की अन्य भूमि आवंटित की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.03.05 18:40:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

मियांद के संबंध में विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने कथन किया कि उक्त रकबा वर्षा पर निर्भर है। पिछले काफी वर्षो से वर्षा नही होने से काश्त नही की गयी। राज्य सरकार द्वारा व्याज माफी योजना चालू करने पर अपीलांट बकाया किश्तें जमा कराने तहसील पूगल गया तब उसे अपीलाधीन रकबा रेस्पोडेन्ट नं. 1 के नाम दर्ज होना पता चला। इस पर प्रमाणित प्रति के लिए आवेदन किया गया। तब प्रथम बार अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी हुई। अपील जानकारी से अन्दर स्वीकार की जाकर अपीलांट को अन्यत्र रकबा आवंटन करने के आदेश पारित किये जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में कथन किया गया कि अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—03—1999 के विरूद्व अपील दिनांक 11—02—20 को पेश की है। जो विलम्ब से पेश की है। इसलिए अपील मिंयाद बाहर है। मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद कण्डोन करने का कोई संतोषजनक कारण अंकिन नहीं किया है। अपीलांट को आवंटित रकबा अन्य को आवंटित हो चुकी है।द्व ऐसी स्थिति में उक्त भूमि अपीलांट को प्राप्त नहीं हो सकती। लिहाजा अपीलांट किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

5. अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 19—03—1999 के विरुद्व अपील दिनांक 11—02—2020 को पेश की है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। जिसक खण्डन में राजकीय पक्ष का कोई काऊन्टर शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट एक ग्रामीण परिवेश का काश्तकार व्यक्ति है, जिससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय के दिन —प्रतिदिन की कार्यवाही की जानकारी रख सके। अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:18 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 7 केएचएम के मुरब्बा नम्बर 117/29 के किला नम्बर 1 ता 25 तादादी 25 बीघा भूमि के आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा अपीलांट के पक्ष में आवंटन किये जाने के फलस्वरूप अपीलांट द्वारा निर्धारित राशि की 35 प्रतिशत राशि 18040/– राजकोष में जमा करवा दी गई। कालान्तर में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से उक्त भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पक्ष में कर दिया गया। इसलिए अपीलांट का आवंटन डबल आवंटन की श्रेणी में आता है। अपीलांट को आज तक आवंटित भूमि का कब्जा डबल आवंटन होने के कारण प्राप्त नही हुआ है। इसलिए अपीलांट अन्यत्र भूमि पाने का हकदार है। आवंटन अधिकारी की पत्रावली में शामिल दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटित भूमि बाद में अन्य व्यक्तियों को आवंटित की जा चुकी है तथा अपीलांट को किया गया आवंटन रद्द नहीं किया गया है। अपीलांट को भूमि पर कब्जा न मिलने तथा पश्चात्वर्ती आदेश के तहत अन्य को आवंटित कर दिये जाने से अपीलांट का हक समाप्त नहीं किया जा सकता। अपीलांट की पात्रता आज दिनांक तक कायम है। ऐसी स्थिति में अपीलांट आज भी पात्रता के अनुसार अन्य भूमि आवंटन करवाने का अधिकारी है।

6. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाती है एवं सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ बीकानेर का आदेश दिनांक 19–03–1999 बहाल रखा जाता है एवं प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे अपीलांट की पात्रता की जॉच करते हुए पात्रता सही पाये जाने पर उसकी पात्रता के अनुसार समान किस्म की भूमि अन्यत्र भूमि के आवंटन के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

7. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16-12-21 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramswaroop Chauhan
Date: 2022.05.05 18:40:18 IST
Reason: SelfAttested

(रामस्वरूप चौहान)
राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर